भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
48, विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
निष्ठा भवन, मुंबई - 400 020.
Tel: 022-22004510, Fax: 022- 22004693.
E-mail otxccotton@gmail.com
www.texmin.nic.in, www.txcindia.gov.in
****

सं.1/20/2021-22/एमएसपी/रूई/ 50-102 दिनांक:21.09.2021
22

आदेश

भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में रूई वर्ष 2021-22 (अक्तूबर - सितंबर) के लिए कपास की दो प्रमुख किस्मों, अर्थात, उचित (फेअर) औसत गुणवत्ता की कपास की नई फसल के मध्यम लम्बाई वाले कपास (मिडियम स्टेपल कॉटन) जिसके रेशे की लम्बाई 24.5 से 25.5 मि. मी. है और जिसका माइक्रोनेयर मान 4.3 से 5.1 है तथा लम्बे रेशे वाले कपास (लॉंग स्टेपल कॉटन) जिसके रेशे की लम्बाई 29.5 से 30.5 मि.मी. है और जिसका माईक्रोनेयर मान 3.5 से 4.3 है, के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। मध्यम लंम्बाई वाले कपास का समर्थन मूल्य रूपये **5726/-** प्रति क्विंटल और लम्बे रेशे वाले कपास के लिए समर्थन मूल्य रूपये **6025/-** प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

2. उपरोक्त दो प्रमुख कपास के समर्थन मूल्यों के आधार पर एवं गुणवत्ता में अंतर, सामान्य मूल्य में अंतर एवं अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखतें हुए स्वच्छ औसत गुणवत्ता वाली (एफएक्यू) कपास की अन्य श्रेणियों का समर्थन मूल्य कपास वर्ष 2021-22 (अक्तूबर - सितंबर) के लिए निम्नानुसार है:-

रूपरा०१२

(रूपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	कपास की किस्में	फायबर के गुणवत्ता के मानक		वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यू.स.मू.)	व्यापार जगत द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किस्मों के सूचक नाम
		रेशे की मूल लम्बाई (2.5% विस्तार लम्बाई)मि.मी.में	माईक्रोनेयर मान		
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
	छोटे रेशे (शार्ट स्टेपल) (20 मि मी या उससे कम)				
1		-	7.0-8.0	5226	आसाम कोमिला
2		-	6.8-7.2	5226	बंगाल देशी
	मध्यम रेशे (मीडियम स्टेपल) (20.5 मि मी - 24.5 मि मी)				
3		21.5-22.5	4.8-5.8	5476	जयधर
4		21.5-23.5	4.2-6.0	5526	वी-797/ जी कॉट. 13/जी.कॉट.21
5		23.5-24.5	3.4-5.5	5576	एके/वाय-1 (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश) / एमसीयू-7 (तमिलनाडू)/ एस वी पी आर-2 (तमिलनाडू)/ पीसीओ-2 (आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक)/ के -11 (तमि.)
	मध्यम लम्बाई के रेशे (मिडियम लाँग स्टेपल) (25.0 मिमी - 27.0 मिमी)				
6		24.5-25.5	4.3-5.1	5726	जे-34 (राजस्थान)
7		26.0-26.5	3.4-4.9	5826	एलआरए-5166/केसी-2 (तमिलनाडू)
8		26.5-27.0	3.8-4.8	5876	एफ-414/एच-777/जे-34 हायब्रिड
	लंबे रेशे (लाँग स्टैपल) (27.5 मिमी - 32.0 मिमी)				
9		27.5-28.5	4.0-4.8	5925	एफ-414/एच-777/जे-34 हायब्रिड
10		27.5-28.5	3.5-4.7	5925	एच-4/एच-6/एमईसीएच/आरसी एच-2
11		27.5-29.0	3.6-4.8	5975	शंकर-6/10
12		29.5-30.5	3.5-4.3	6025	बन्नी / ब्रम्हा
	अतिरिक्त लंबे रेशे (एक्स्ट्रा लाँग स्टैपल) (32.5 मिमी तथा उससे ज्यादा)				
13		32.5-33.5	3.2-4.3	6225	एमसीयू-5/सुरभि
14		34.0-36.0	3.0-3.5	6425	डीसीएच-32
15		37.0-39.0	3.2-3.6	7225	सुविन

कृपया/21

(i) यदि पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित सारणी में अनु क्र. 6 पर उल्लिखित 24.5 - 25.5 मिमी की स्टेपल लम्बाई का माइक्रोनेयर मूल्य 3.8 से 4.2 की रेंज में हो उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त रूपये 30/- प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यदि माईक्रोनेयर 3.8 से कम अथवा 5.1 से ज्यादा हो तो उसके प्रत्येक 0.2 माईक्रोनेयर मान के लिए रूपये 15/- प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होगा।

(ii) यदि पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित सारणी में अनु क्र. 9 से 15 पर स्टैपल लम्बाई के माइक्रोनेयर मूल्य कॉलम (IV) के माईक्रोनेयर मान रेंज के बाहर हो तो प्रत्येक 0.2 माइक्रोनेयर मान के लिए रूपये 25/- प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दिया जाएगा।

(iii) पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित सारणी के अनु क्र. 13 से 15 तक उल्लिखित अतिरिक्त लम्बे स्टेपल कॉटन का न्यूनतम स्वीकार्य माइक्रोनेयर मान 2.8 होगा। उपरोक्त सारणी के अनु क्र. 1 से 12 पर उल्लिखित कपास की अन्य किस्मों का न्यूनतम स्वीकार्य माइक्रोनेयर मान 3.0 होगा।

(iv) पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित सारणी के स्तंभ सं. (VI) में उल्लिखित किस्मों के नाम केवल संबंधित विशिष्ट लम्बाई समूह के सूचक हैं।

(v) कपास में न्यूनतम नमी (आद्रता) की मात्रा 8% रहेगी। वे किसान जो 8% से ज्यादा किन्तु 12% से कम नमी के कपास का विक्रय कर रहे हैं वे अनुपातिक तौर पर कम मूल्य प्राप्त करेंगे, जबकि यदि उत्पाद में नमी की मात्रा 8% से कम होगी तो वे अनुपातिक प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। विनिर्दिष्ट प्रापण अभिकरणों द्वारा मूल्य समर्थन प्रकार्य करने के उद्देश से, 12% से अधिक नमी की अनुमति नहीं हैं। प्रोत्साहन देना अथवा न देना आनुपातिक आधार पर कपास के प्रति क्विंटल दर के प्रोरेटा आधार पर होगा।

(vi) प्रापण अभिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि माइक्रोनेयर तथा अन्य गुणवत्ता प्राचलों का बिक्री केन्द्रों को आवश्यक सामग्री / सुविधाएं उपलब्ध करवा कर मूल्यांकन, वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है।

कपास के मूल्य समर्थन अभियान के लिए भारतीय कपास निगम (भा.क.नि) प्रमुख अभिकरण (नोडल एजेंसी) रहेगी । भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड (नाफेड) कपास की प्राप्ति के लिये भा.क.नि. के प्रयासों में सहायता करेगी ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य दि. 01.10.2021 से प्रभावी होंगे ।

रूपराशि

(रुप राशि)
वस्त्र आयुक्त

1. श्री संजय शरण
संयुक्त सचिव (फाइबर-I)
भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय,उद्योग भवन,
नई दिल्ली -110 011.

2. डॉ नवीन प्रकाश सिंह,
अध्यक्ष, कृषी लागत और मूल्य आयोग,
भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001.

3. श्री अनुपम मित्रा,
सदस्य सचिव, कृषी लागत और मूल्य आयोग,
भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन,
नई दिल्ली- 110 001.

4. आर्थिकी एवं सांख्यिकी सलाहकार,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग),
आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस),
कृषि भवन, नई दिल्ली -110 001.

5. श्री अनिल कुमार शर्मा,
सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग),
आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय,
नई दिल्ली-110 001-**उनके पत्र सं. 6-1/2021-एफईएस-ईएस दिनांक 11.06.2021 के संदर्भ में ।**

6. श्री जे के डोरा,
अवर सचिव,
वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन,
नई दिल्ली -110 011. **उनके पत्र सं. 01/01/2021- रूई-I दिनांक 25.06.2021 के संदर्भ में ।**

7. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल,
अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक,
भारतीय कपास निगम, प्लॉट नं. 3/A, सेक्टर नं. 10,
सी.बी.डी. बेलापुर, नवी-मुंबई- 400 614.

8. श्री संजीव कुमार चड्डा,
प्रबंध निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
सिध्दार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक, रिंग रोड,
नई दिल्ली -110 014.

9. निदेशक,
कपास अनुसंधान का केन्द्रीय संस्थान,
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद),
पो.बै. सं.2, शंकर नगर, पो. ऑफिस,
नागपुर -440 010.

10. निदेशक,
केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान,
(सी आय आर सी ओ टी)
एडनवाला रोड, माटुंगा,
मुंबई -400 019.

11. निदेशक ,
रूई विकास निदेशालय,
(कृषि एवं सहकारिता विभाग),
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भूमि सर्वेक्षण भवन सेन्टर पाइंट,
स्कूल सेमिनारी हिल्स, कटोल रोड, नागपुर-440013

12. सचिव,
सहकार एवं विपणन,
तीसरी मंजिल, मंत्रालय,
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई -400 001.

13. संयुक्त निदेशक,
कृषि मूल्य समिति सेल, कृषि एवं ए.डी.एफ. विभाग,
महाराष्ट्र सरकार,
जोरास्ट्रियन एसोसिएशन बिल्डिंग,
दूसरी मंजिल, 16 हर्निमन सर्कल,
फोर्ट, मुंबई -400 023.

14. सचिव,
कृषि विभाग,
पंजाब, हरियाणा,राजस्थान, गुजरात,महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगना,
कर्नाटक,तमिलनाडू, उडिसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य सरकार

15. प्रबंध निदेशक,
राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ,
पंजाब,हरयाना,राजस्थान,गुजरात,महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश,आंध्रप्रदेश,तेलंगना,कर्नाटक,तमिलनाडू,उडिसा
और मध्य प्रदेश निर्यात परिषद, आन्ध्र प्रदेश गिरिजन को-ऑपरेटीव फेडरेशन, पंजाब स्पीनफीड

16. अध्यक्ष,
भारतीय कपास संघ,
2 री मंजिल, कॉटन एक्सेंज बिल्डिंग,
कॉटनग्रीन, मुंबई -400 033.

17. महासचिव,
भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI),
छटी मंजील, नरेन मंजिल,
23,बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110 001.

18. अध्यक्ष,
इंडियन कॉटन एसोसिएशन लि.,
पो.बॉ.नं. 79, नई बस्ती, गली नं. 6
भटिंडा, पंजाब 151 001.

19. मानद सचिव,
भारतीय कपास संघ (ICF),
पो.बै.नं.3310, 477 कामराजर रोड,
उपीलीपालायम पोष्ट,
कोयम्बतूर - 641015.

20. वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी,
अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलूरु, कोयम्बतूर, गुंतुर, इंदौर, कोलकाता, नवी मुंबई तथा नोएडा ।

(विपन कुमार कोहली)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त